उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-76/ 1364/ एक-1-2016-20(8)/ 2016
लखनऊ: दिनाँक: 20 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा 233 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 57 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में, नियम-57 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (12) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(12)- ऐसा प्रत्येक आवंटन पांच वर्ष की अवधि के लिये निष्पादित किया जायेगा और उसका आगे न तो नवीनीकरण किया जायेगा और न ही बढ़ाया जायेगा।	(12)- ऐसा प्रत्येक आवंटन दस वर्ष की अवधि के लिये निष्पादित किया जायेगा और उसका आगे न तो नवीनीकरण किया जायेगा और न ही उसे बढ़ाया जायेगा।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–1

संख्या 170/एक-1-2016-15(1)/1998-19

लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 233 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निरसित अधिनियमों के अधीन बनायी गयी समस्त नियमावलियों को विखण्डित करके निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2. इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो,–

(क) 'परिशिष्ट' का तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न परिशिष्ट से है;

(ख) 'परिषद' का तात्पर्य संहिता के अधीन गठित राजस्व परिषद से है;

(ग) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य परिषद के अध्यक्ष से है;

(घ) 'संहिता' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 से है;

(ङ) 'नामिका वकील' का तात्पर्य ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध वाद, प्रार्थना–पत्र या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये संहिता या इस नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त किये गये विधि व्यवसायी से है;

(च) 'आर0सी0 प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न आर0सी0 प्रपत्र से है;

(छ) 'राजस्व न्यायालय मैनुअल' का तात्पर्य संहिता की धारा 234 के अधीन अथवा संहिता द्वारा निरसित अधिनियमों के अधीन बनाये गये राजस्व न्यायालय मैनुअल से है;

(ज) 'राजस्व मैनुअल' का तात्पर्य सरकार के राजस्व विभाग के आदेशों के मैनुअल से है;

(झ) 'धारा' का तात्पर्य संहिता की किसी धारा से है;

CamScanner

उराके संज्ञान में आयें और किसी अन्य प्रकरण में प्रत्येक वर्ष खरीफ और रबी की पड़ताल समाप्त होने के पश्चात, तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को रिपोर्ट करेगा।

(3) तहसीलदार खरीफ और रबी की पड़ताल समाप्त हो जाने के बाद स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक लेखपाल ने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(4) इस नियम के उपबन्ध यथोचित परिवर्तन सहित स्थानीय प्राधिकारी पर लागू होंगे जिसमें कि सम्पत्ति निहित है उपनियम (3) में उल्लिखित कर्तव्य ऐसे अधिकारी द्वारा किये जायेंगे जैसा कि उस स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाय।

<u>तालाबों का पट्टा</u>

छोटे तालाबों का पट्टा (धारा 61)

57. (1) जहां धारा 61 (ख) में उल्लिखित तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ से कम हो समिति निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार सिंघाड़ा उत्पादन अथवा मत्स्य पालन के लिए उपजिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से पट्टा करेगा।

(2) ऐसे तालाबों के आबंटन के लिए तहसील स्तर पर शिविर का आयोजन किया जायेगा जिसके लिसे उस क्षेत्र में वृहद रूप से प्रचलित कम से कम एक सामाचार पत्र में शिविर की तिथि, समय व स्थान की जानकारी देते हुये वृहद स्तर पर प्रचारित किया जायेगा।

(3) अध्यक्ष, सचिव और नायब तहसीलदार से अन्यून स्तर का अधिकारी ऐसी शिविर की बैठक में उपस्थित रहेंगे। यदि एक से अधिक ग्राम पंचायत शामिल हो तब उन सभी सम्बन्धित समितियों के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित रहेगें।

(4) प्रत्येक तहसील के लिये कलेक्टर द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधि की सहायता से सचिव उन पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा जिन्हें उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अधिमानता क्रम के अनुसार संदर्भित तालाब को आबंटित किया जा सके।

(5) संभावित आवंटियों की पात्रता सूची निम्नलिखित वरीयता क्रम के अनुसार तैयार की जायेगी –

(क) सम्बन्धित ग्राम पंचायत में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति;

(ख) ग्राम पंचायत में निवास करने वाला गरीबी रेखा से नीचे का अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा सामान्य श्रेणी का व्यक्ति;

(ग) सम्बन्धित न्याय पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति;

(घ) सम्बन्धित विकास खण्ड में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति :

स्पष्टीकरण– इस नियम और नियम 58 के उददेश्य के लिए मछुआ समुदाय के व्यक्ति का अर्थ होगा केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से सम्बन्धित ऐसा व्यक्ति अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो परम्परागत रूप से मत्स्य पालन व्यवसाय में लगा हो।

(6) उपनियम (5) के किसी पूर्ववर्ती खण्ड में उल्लिखित व्यक्ति पश्चातवर्ती खण्डों में उल्लिखित व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुये ऐसे तालाबों का आबंटन पाने के हकदार होंगे।

(7) यदि उपनियम (4) के अन्तर्गत तैयार की गयी पात्रता सूची में पात्र व्यक्ति एक से अधिक हैं तब मौके पर ही नीलामी करायी जायेगी, जिसमें केवल पात्रता सूची में उल्लिखित व्यक्ति ही प्रतिभाग कर सकेंगे। यदि उपरोक्त पट्टा के लिये केवल एक व्यक्ति पात्र है, तो पट्टा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत वार्षिक भाटक की धनराशि, जो प्रति एकड़ 1000/– रूपये से कम और 2000/– रूपये से अधिक नहीं होगी, पर दिया जायेगा।

(8) संहिता की धारा 189 व धारा 190 के उपबन्ध इस नियम के अन्तर्गत प्रत्येक नीलामी पर लागू होंगे।

(9) जब उच्चतम बोली की धनराशि जमा कर दी गयी हो, पात्रता सूची, नीलामी प्रपत्र और बोली की धनराशि को जमा करने सम्बन्धी आख्या, अध्यक्ष, सचिव और उपनियम (3) में उल्लिखित राजस्व अधिकारी द्वारा समुचित तरीके से हस्ताक्षरित करके अनुमोदन हेतु उपजिलाधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

(10) यदि उपजिलाधिकारी का समाधान हो जाता है कि तालाब को आबंटित करने का निर्णय नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया गया है तो वह अनुमोदन दे देंगे और अभिलेख समिति को वापस कर देंगे।

CamScanner

(11) यदि उपजिलाधिकारी प्रस्ताव का अनुमोदन कर देते हैं, तो प्रपत्र समिति को वापस जायेंगे और एक आबंटन विलेख आर०सी० प्रपत्र–15 निष्पादित कराया जायेगा, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत कराया जायेगा।

(12) ऐसा प्रत्येक आबंटन पांच वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित किया जायेगा और उसका आगे न तो नवीनीकरण किया जायेगा और न ही बढ़ाया जायेगा।

(13) आबंटी, आवंटित तालाब को मत्स्य पालन, अन्य जलजात पदार्थ या हरी सब्जियों के उत्पादन के प्रयोजनार्थ प्रयोग में ला सकेगा।

(14) यदि आबंटन की अवधि में आंबटी, आबंटन की शर्तो का उल्लघंन करता है, उपजिलाधिकारी आबंटी को कारण बताओ नोटिस जारी करके आबंटन निरस्त कर सकेगा।

(15) आबंटन की अवधि के दौरान स्थानीय निवासियों के उस तालाब में कपड़े धोने, जानवरों को पानी पिलाने, मिट्टी के बर्तन बनाने के प्रयोजनार्थ मिट्टी निकालने या इस प्रकार के अधिकार अबाधित रहेंगे।

बड़े तालाबों का पट्टा (धारा 61)

58. (1) जहां धारा 61(ख) में उल्लिखित तालाब का क्षेत्रफल 5 एकड़ से अधिक है, समिति उपजिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से निम्नलिखित वरीयता क्रम के अनुसार पट्टा करेगी :–

(क) संबंधित ग्राम में निवास करने वाले मछुवा समुदाय के व्यक्तियों की सहकारी समितियां जो उ०प्र० सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत हों और मत्स्य पालन विभाग उ०प्र० द्वारा मान्यता प्राप्त हों।

(ख) सम्बन्धित न्याय पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की सहकारी समितियां, जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों।

(ग) सम्बन्धित विकास खण्ड में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों।

(घ) सम्बन्धित जनपद में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों।

(ङ) उ०प्र० राज्य में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों।

(च) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की

CamScanner

सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों।

(ङ) अन्य सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हों।

(2) नियम 57 के प्रावधान अन्य सभी मामलों में यथोचित परिवर्तन सहित इस नियम से आच्छादित तालाबों के पट्टों में लागू होंगे। इस शर्त के साथ कि यदि उपरोक्त पट्टा के लिये केवल एक सहकारी समिति पात्र है, तो पट्टा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत वार्षिक भाटक की धनराशि, जो प्रति एकड़ 4000/– रूपये से कम नहीं होगी, पर दिया जायेगा।

कलेक्टर को अपील
[धारा 233(2)(चौदह)]

59. नियम 57 अथवा 58 में उल्लिखित प्रत्येक पट्टा को कृषि कार्यों के उद्देश्य के लिये पट्टा माना जायेगा और उपजिलाधिकारी के अनुमोदन से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति अनुमोदन के दिनांक से 30 दिन के अन्दर कलेक्टर को अपील कर सकेगा और धारा 210 के प्राविधानों के अधीन कलेक्टर का आदेश अन्तिम होगा।

दैनिक आधार पर व्यवस्था
(धारा 61)

60. यदि किसी कारण से नियम 57 अथवा 58 के अन्तर्गत किसी पट्टे के विनिश्चयीकरण, निष्पादन अथवा रजिस्ट्रीकरण में विलम्ब हो रहा है, तो कलेक्टर मत्स्य आखेट के लिये दैनिक आधार पर अनुमति या व्यवस्था ऐसी शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन कर सकेगा, जैसी वह उचित समझें।

<u>आबादी स्थलों का आबंटन</u>

अधिमानी श्रेणियों के लिये आबादी स्थल
(धारा 63 एवं 64)

61. (1) जहां उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य श्रेणियों के लिये आबादी के विस्तार के लिये चिन्हित भूमि और ग्राम पंचायत में निहित आबादी की कोई अन्य भूमि संहिता की धारा 64(1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त नहीं है, तहसील का उपजिलाधिकारी संहिता की धारा 63 की उपधारा (1) के अनुसार आबादी स्थल के लिये भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही करेगा।

(2) यदि ग्राम में उपलब्ध धारा 63 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमि अपर्याप्त है तो कलेक्टर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2012 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) के अन्तर्गत भूमि अर्जित करने के लिये प्रस्ताव तैयार कर सकेगा और उसे सरकार को उसके आदेश के